(" ग्रामीण सेवा शिविर–2025")

FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम–26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर खेतड़ी जिला झुंझुनूं (राज.)

मिसल नम्बर :– 452 / 2025

किस्म प्रार्थना पत्र :– अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट 1956

बंशीधर पुत्र बीरबल जाट बनाम झुंझार निवासी बेर(18)

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (भू.अ.) खेतड़ी जिला झुंझुनूं (राज0)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
09/12/25	आज यह प्रार्थना पत्र " **ग्रामीण सेवा शिविर–2025**" के दौरान राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के तहत प्रार्थी स्वयं ने उपस्थित होकर पेश किया। प्रार्थना पत्र बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार (भू.अ.) खेतड़ी की रिपोर्ट क्रमांक LR/23/3395 दिनांक 04/11/25 से जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। प्रार्थी के निवेदन पर प्रार्थी को सुना गया। पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात व तहसीलदार खेतडी की जांच रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया तथा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मौखिक निवेदन पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् व तहसीलदार (भू.अ.) खेतड़ी की अनुशंषा के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। विस्तृत आदेश पृथक से लिखवाया जाकर शामिल मिसल किया गया। उक्तानुसार पालना हेतु तहसीलदार (भू0अ0) खेतड़ी को आदेश की प्रति सहित तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 09/12/25 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। (सुनील कुमार चौहान) उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर खेतड़ी जिला झुंझुनूं राज0	